



खेरथा, दिनांक 04/06/2021

**// सूचना //**

समस्त बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के नियमित अमहाविद्यालयीन, भूतपूर्व एवं पूरक छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हेमचंद्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2020-21 की उत्तरपुस्तिका निम्नांकित तिथियों में महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें।

**उत्तर पुस्तिका जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश**

- (1) जिन छात्र/छात्राओं ने परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा नहीं किया है वे पिछली परीक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी जमा करेंगे।
  - (2) उत्तरपुस्तिका में हेमचंद्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कवर पेज लगाना अनिवार्य है। कवर पेज में नाम कक्षा, रोल नं., प्रश्न पत्र का कोड अवश्य अंकित करें।
  - (3) उत्तर पुस्तिका जमा करते समय परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। तथा निर्धारित स्थान पर उत्तर पुस्तिका जमा कर हस्ताक्षर अवश्य करें।
  - (4) उत्तरपुस्तिका जमा नहीं करने पर उक्त परीक्षार्थी को अनुपस्थित माना जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात उत्तर पुस्तिका जमा नहीं ली जावेगी।
  - (5) उत्तर पुस्तिका जमा करते समय मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें एवं निर्धारित काउन्टर पर निश्चित दूरी बनाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें।
- नोट :- शासन द्वारा जारी कोविड 19 प्रोटोकॉल तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें।



*[Signature]*  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

(यासर कुरैशी)  
प्र. प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला बालोद



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद छ0ग0  
क्र0 374/2017

खेरथा दिनांक 15/12/2017

प्रति

*[Signature]*  
श्रीकी प्रभारी,  
श्रीकी सजारी,  
जिला बालोद छ0ग0।

विषय - परीक्षा अवधि में सुरक्षा प्रदान करने बाबत।

विषयावगत लेख है कि दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग छ0ग0 द्वारा एम0ए0 राजनीति विज्ञान प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 20/12/2017 से दिनांक 4/12/2018 तक आयोजित है। उपरोक्त समयवधि में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का कष्ट करें।  
धन्यवाद।

सलगन- समय सारणी

पु0क्र0 375/2017  
प्रतिलिपि-

1 जिला अधीक्षक, जिला बालोद छ0ग0।

*[Signature]*  
(डॉ0 आलोक मिश्रा)  
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला-बालोद छ0ग0

खेरथा दिनांक 15/12/2017

*[Signature]*  
(डॉ0 आलोक मिश्रा)  
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला-बालोद छ0ग0

*[Signature]*  
20/12/17

*[Signature]*  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

## संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय

स्नातक स्तर :- किसी भी संकाय के प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन के अतिरिक्त निम्न समूहों में किसी तीन समूहों में एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।

सीट संख्या	विषय - समूह	सीट संख्या
कला संकाय (बी.ए.) विषय समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र हिन्दी साहित्य भूगोल अंग्रेजी साहित्य	- 70	विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) - 70 विषय रसायन वनस्पति शास्त्र प्राणिशास्त्र
कनिष्ठ (बी.कॉम.)	- 60	स्नातकोत्तर - 25 एम.ए. राजनीति विज्ञान
दिव्यविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त अनिवार्य विषय समूह		
टीप :- प्रवेश लेने के बाद चयनित विषय में किसी भी स्तर परिवर्तन नहीं होगा। अतः विषयों के चयन में पूरी सावधानी बरतें।		

### प्रवेश संबंधी नियमावली

1. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धांत के आधार पर गुणानुक्रम से की जावेगी।
2. प्रवेश-शुल्क जमा करने पर ही वैध माना जावेगा।
3. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सेंट्रल बोर्ड, नयी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के द्वारा प्रदान किया जावेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए संस्था के सूचना पटल का अवलोकन करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने पर आवेदन स्वः निरस्त हो जायेगा।

3

Distt. Balod (C.G.)

6. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
7. क्रीड़ा क्षेत्र के प्रतिभामान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

### छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

#### सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी गिर्यति में उसकी वेशभूषा उतेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल व निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालें को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा का आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4

Distt. Balod (C.G.)

## अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अन्त्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षा, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाइट, फनीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई, परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होंगे की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में वा उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

## महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनेतिकतामूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छात्रीसंगठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पार 5 अ...  
अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख कर

5

Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

## छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें

1. विद्यार्थी सहायता निधि : गरीबी रेखा के नीचे के आय समूह के जरूरतमंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2. छात्रवृत्ति : महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय : इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।
4. Girls Common Room : इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए Girls Common Room की व्यवस्था है।
5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ के लिये शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न तरह की शिकायतों का निवारण करती है।
6. महिला परामर्श प्रकोष्ठ (Woman Conselling Cell) : इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एक समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श (Conselling) के द्वारा मार्गदर्शन करती है।
7. चिकित्सा सुविधा : महाविद्यालय के विज्ञान, एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा चिकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है। महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की भी व्यवस्था है।
8. खेलकूद : छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से सम्बन्धित विविध गतिविधियों के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है। महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है -

खेल मैदान :- लगभग 4 एकड़

(अ) आउटडोर : क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, कबड्डी

(ब) इन्डोर : कैरम, शतरंज

Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

7

9. रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं : इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा हर कक्षा के कमजोर एवं देदीप्यमा छात्रों को पहचान कर उनके लिए आवश्यकता अनुसार रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं ली जाती है ।
10. अतिथि व्याख्यान : महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है ।

### शैक्षणिक गतिविधियाँ

N.S.S. (राष्ट्रीय सेवा योजना) : इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना विकसित कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है ।

गतिविधि समितियाँ (Activity Committee) : विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियाँ का गठन किया जाता है ।

1. सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)
2. सामाजिक गतिविधि समिति (Social Activity Committee)
3. विज्ञान समिति (Science Committee)
4. क्रीड़ा समिति (Sports Committee)
5. लैंगिक मामलों की समिति (Gender Issue Committee)
6. पर्यावरण समिति (Eco Committee)
7. अनुशासन समिति (Discipline Committee)
8. एंटीरेगिंग समिति (Antiraging Committee)
9. भौतिक सत्यापन समिति (Cultural Committee)
10. रेडक्रॉस समिति (Redcross Committee)

शैक्षणिक भ्रमण : महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को उनके विषय का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु भ्रमण के लिए लाया जाता है ।

संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / विज्ञान प्रदर्शनी : स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन इस महाविद्यालय में किया जाता है ।

पूर्व विद्यार्थी समिति (Alumni Association) : राष्ट्र, राज्य एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी एवं योगदान देने वाली इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं का यह संगठन विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, अनुभव एवं स्मृतियों को आपस में बाँटता है एवं इस महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देता है ।

शिक्षक पालक समिति : पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान, विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिये पालक शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के तीसरे शनिवार को 3.00 बजे दोपहर को आयोजित की जाती है ।

एन्टी रेगिंग समिति : महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान न किया जावे इस हेतु महाविद्यालय में एन्टी रेगिंग समिति गठित की जाती है, जो इस हेतु सावधानीपूर्वक निगरानी रखती है । महाविद्यालय में रेगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है । फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है ।

पुरस्कार वितरण समारोह : वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मेधावी छात्राओं को शिक्षकों की एक समिति के द्वारा अनुशसित विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है ।

आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ : इस महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है । इस समिति के द्वारा हर माह होने वाली यूनिट टेस्ट, तिमाही एवं छ-माही परीक्षाएँ संचालित की जाती है । इसके अतिरिक्त छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है ।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य ।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पाँच में सम्मिलित होना आवश्यक है ।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों की उपस्थिति माना जावेगा ।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी ।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को सूचना पटल पर सूचना दी जावेगी ।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जावेगी ।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इन्हे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे ।

